कच्छ ज्वार-भाटीय विद्युत परियोजना की स्थापना

411. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा जिनेन्द्र कुमार जैन :
क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वार-भाटीय लहरों से विद्युत उत्पादन के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिकी देश में प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा कच्छ ज्वार भाटीय विद्युत परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव ढाकणे): (क) गुजरात में प्रस्तावित कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए जांच एवं अध्ययन कार्य करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा फ्रांस से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई थी । तथापि ज्वारीय विद्युत के विकास में निहित जटिल प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए परियोजना का विस्तृत अभिकल्प तैयार करते समय एवं उसके क्रियान्वयन के दौरान इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अन्य देशों से और तकनीकी सहायता प्राप्त किए जाने की जरूरत पड़ सकती है ।

(ख) कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना के संबंध में निर्णय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन एवं उसकी स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है ।

विद्युत संचारण और वितरण प्रणाली

412. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संचारण और वितरण में आमतौर पर होने वाले विद्युतीय हानि की तुलना में देश में इसका परिमाण काफी अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान इस कारण देश में कितनी प्रतिशत विद्युत बेकार हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस भारी हानि को दृष्टि में रखते हुए "एनर्जी" के अक्तूबर, 1990 के अंक में कुछ कारणों का उल्लेख किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वे कौन से मुख्य कारण हैं और क्या सरकार ने उन्हें दूर करने के लिये कुछ ठोस उपाय अपनाने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) भारत में पारेषण एवं वितरण हानियां (टी. एण्ड डी.) 22 प्रतिशत के लगभग है जो कि विश्व के अन्य विकसित देशों जहां ये हानियां 6 से 11 प्रतिशत के बीच होती हैं, की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 1989–90 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है **(नीचे देखिए)**

(ग) से (ङ) इन हानियों में कमी लाने के लिए विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रणाली में अधिक हानियों के लिए उत्तरदायी घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी कार्य करना, वोल्टता संबंधी परिदृश्य को सुधारने के लिए कैपेसिटर्स की प्रतिष्ठापना करना, अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने तथा इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ मीटर बाक्सों की प्रतिष्ठापना करना तथा ऊर्जा की चोरी से संबंधित मामलों का पता

लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना, शामिल है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के अंतर्गत ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 से एक प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विद्युत यूटिलिटीज ने सतर्कता दलों का गठन किया है तथा अपनी पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने एवं इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें बना रहे हैं। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा क्रियान्वयन हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें हाथ में ली गई हैं तथा पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई है।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों में 1989–90 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों (वाणिज्यिक हानि सहित) का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	राज्य विद्युत बोर्ड/बिजली विभाग	1989–90 (अनन्तिम)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	29.19
	2. हिमाचल प्रदेश	18.74
	3. जम्मू व कश्मीर	49.46
	4. पंजाब	18.96
	5. राजस्थान	21.97
	6. उत्तर प्रदेश	26.10
	7. चंडीगढ़	15.62
	8. डेसू	28.10
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	22.02
	2. मध्य प्रदेश	19.48
	3. महाराष्ट्र	17.60
	4. दादरा और नागर हवेली	11.45
	5. गोआ	18.68
	6. दमन और दीव	16.31
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	20.20
	2. कर्नाटक	20.49
	3. केरल	22.00

1	2	3
	4. तमिलनाडु	18.45
	5. लक्षदीप	13.30
	6. पांडिचेरी	18.45
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.50
	2. उड़ीसा	23.99
	3. सिक्किम	23.36
	4. पश्चिमी बंगाल	21.58
	5. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.15
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	21.58
	2. मणिपुर	20.80
	3. मेघालय	10.90
	4. नागालैंड	18.00
	5. त्रिपुरा	30.00
	6. अरुणाचल प्रदेश	27.60
	7. मिजोरम	29.00
अखिल भारत (यूटिलिटीज)		–उ. न.–

समुद्रीय ऊर्जा का उपयोग

413. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1990 के "दि हिन्दू" में "ओशन एनर्जी एक्सप्लायटेशन आन एन्विल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में समुद्रीय ऊर्जा पर आधारित परियोजनायें स्थापित करने का समर्थन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में समुद्रीय ताप ऊर्जा परिवर्तन संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और देश में इस तकनीक से ऊर्जा उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव ढाकणे) : (क) जी हां।

(ख) महासागर ऊष्मा ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकी अपनी वर्तमान स्थिति में तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझी जाती है हालांकि एक विशेषज्ञ दल की राय है कि यह भविष्य में व्यवहार्य हो सकेगी ।

(ग) और (घ) देश में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन के लिये अनुभव किये जा रहे गंभीर वित्तीय दबावों के कारण आठवीं योजना के दौरान किसी महासागर ऊष्मा ऊर्जा